

07-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी-
श्वंप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र
अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तरीके बकमील
होकर दाखिल इफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(सुनीलकुमार चौधान)
RAS